न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 14/21 सन् 2021

GCMS NO-2021/244

बउनवानीः— 1. मनभर पत्नि मूलचन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
2. गुडडी पुत्री मूलचन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
3. प्रकाश चन्द पुत्र मूल चन्द बैरवा निवारी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
4. सीमा पुत्री मूल चन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
5. संजू पुत्री मूल चन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
6. शिमला पुत्री मूल चन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
7. भाग चन्द पुत्र मूल चन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर
8. विमला पुत्री मूल चन्द बैरवा निवासी मानराजपुरा, तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. तहसीलदार महोदय तहसील व जिला सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2 दिनांक 31.5.1993 वाके ग्राम मानराजपुरा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्टगण
2. श्री तोफिक मोहम्मद पैरोकार

—: निर्णय :— दिनांक 25..2.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 02 दिनांक 31.05.1993 वाके ग्राम मानराजपुरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात लिखित बहस वकील अपीलान्ट का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 299, 309, 312, 313, एंव 491/914 कुल किता 5 कुल रकवा 1.96 है0 वाके ग्राम मानराजपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि के साविक खसरा नम्बर 1252 व 1229 रहे है। यह भूमि पूर्व में प्रभू व माधो पिसरान गंगाविशन, जग्गा पुत्र ऊंकार गुर्जर हिस्सा 1/2 व सुखराम, कोरया, रामनाथ पिसरान ऊंकार बैरवा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 के खाता संख्या 58 पर दर्ज है। अपीलान्ट के बाबा कोरया की मृत्यु के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 31/5/1993 को नामान्तकरण नियमो का बोईलेशन (Violation) कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नामान्तकरण नियमो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 31/05/1993 पारित किया गया है जबकि विरासत के नामा0 का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना के अुनसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्राप्त है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया है। एक मात्र हल्का पटवारी द्वारा जल्दबाजी में नामान्तकरण के ऊपर कोरया की विरासत मोडू पुत्र कोरया, फूला बैवा कोरया, दिनांक 31/05/1993 को ही भरकर एक ही दिन में आई एल आर से जॉच कर इसी दिन तहसीलदार महोदय ने तस्दीक कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय बिना किसी जॉच के, व बिना नोटिस दिये भरकर खोल दिया है जबकि कोरया के मोडू नाम का कोई पुत्र नहीं है। वास्तविकता यह है कि कोरया के पुत्र का सही नाम मूलचन्द है किन्तु मूलचन्द के नाम

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है जो कि एक कानूनी भूल है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 963 दिनांक 9.2.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के बाबा कोरया के वारिस कमश फूला पत्नि,मूलचन्द पुत्र,मंगली,प्रेम पुत्री है। अपीलांटस के बाबा की भूमि ग्राम मानराजपुरा में अन्य खसरा नम्बर 38, 39, 42, कुल किता 3 कुल रकवा 1.61 है0 स्थित है जिसमें अपीलाण्ट के पिता का सही नाम मूलचन्द दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पिता का नाम मोडू न होकर मूलचन्द है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट दिनांक 17/08/21 को जब अपनी भूमि पर के.सी.सी बनवाने के लिये बैंक मैनेजर से मिलने पर बैंक मैनेजर द्वारा बताया जाने पर दिनांक 18/08/21 को अपीलाण्ट अपने दस्तावेज लेकर बैंक मैनेजर के बताये जाने पर प्राप्त हुई है। माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश अपने अधिकार क्षेत्र का बाहर का होने से मयाद लागू नहीं होती है अपीलाधीन आदेश प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। तथा शून्य आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर किसी भी समय रद्द करवाया जा सकता है। आदेश जैर अपील पारित करते समय नामान्तकरण नियम 119 से लेकर नियम 125 की कोई पालना नहीं हुई है ना ही मौका कब्जे की जाँच की गई है। उपरोक्त अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया है जो खिलाफ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलान्ट के पिता का नाम मोडू के स्थान पर मूलचन्द किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यद्यपि अपील अपीलान्ट मयाद बाहर पेश की गयी है किन्तु यदि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट के पिता का नाम मोडू के स्थान पर मूलचन्द किया जाता है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही होगा।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 9.2.2026 व सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट के बाबा कोरया के मोडू नाम का कोई पुत्र नही होकर मूलचन्द है जिसकी पुष्टि ग्राम मानरापुरा के खाता संख्या 135 की जमाबन्दी सम्वत् 2029–2062 के अंकित नामा0 संख्या 12 दिनांक 30.8.1998 जिसके द्वारा मृतक कोरया की विरासत का नामा0 मूलचन्द के नाम खोला गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट मे भी मूलचन्द को ही कोरया का पुत्र बताया गया है। ऐसी स्थिति मे मृतक कोरया की विरासत का नामा0 आदेश जैर अपील जो कि मोडू के नाम तस्दीक किया गया है विधिसम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया उचित प्रतीत होता है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक कोरया के वारिसान के सही नाम की पुष्टि की जाकर अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner